न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,

(महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से सम्बन्धित), बहराइच।

उपस्थितः **बृजेश कुमार यादव, (उच्चतर न्यायिक सेवा)**,

JO Code No. UP 1605

UPBH010023552014

सत्र परीक्षण संख्या 185/2014

सरकार ------अभियोगी

प्रति

1– सुमनलता, आयु 70 वर्ष, पत्नी कुंवारे,
2– कुंवारे, आयु 72 वर्ष, पुत्र गंगा,
3– किरन बाला उर्फ किरनलता उर्फ फुलवा उर्फ फूलमता, आयु 45 वर्ष, पत्नी देशराज,
4– लालजी, आयु 30 वर्ष, पुत्र कुंवारे,
निवासीगण– ग्राम भवनियापुर टिकुरी, थाना रुपईडीहा, जनपद बहराइच।
--------- अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या– 382/2014,
धारा– 498 ए, 304 बी, 302/34 भा०दं०सं०,
व धारा 3/4 डी०पी० ऐक्ट,
थाना– रुपईडीहा, जनपद बहराइच।

निर्णय

1. पुलिस थाना–रुपईडीहा, बहराइच द्वारा अभियुक्तगण सुमनलता, कुंवारे, किरनबाला उर्फ किरनलता उर्फ फुलवा उर्फ फूलमता व लाल जी के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी, 302 भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० ऐक्ट प्रस्तुत करके अभियोजित एवं दण्डित किये जाने की याचना की गयी, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेकर मामले को सत्र परीक्षणीय पाते हुए सत्र न्यायालय में उपार्पित किया गया जो अन्तरण द्वारा इस न्यायालय में गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राधेश्याम द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 में यह कथन किया गया है कि वादी ने अपनी लड़की (सुशीला) की शादी वर्ष 2012 में लाल जी पुत्र कुंवारे के साथ किया था परन्तु विदाई से लेकर मार डालने तक सुमनलता (सास), कुंवारे (ससुर), लाल जी (पति) ये लोग शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दहेज के कारण देते रहे। दिनाँक 21.04.2014 को समय अपारन्ह 11.00 बजे दिन वादी की लड़की सुशीला को सुमनलता, कुंवारे और लाल जी ने मिलकर लात, मुक्का, घूसों से मारकर जान से

Digitally signed by Brijesh Kumar Yadav
Date: 2026.07.20 16:59:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मार डाला है। उसके बाद मकान के हुक में तहमद से बाँधकर लटका दिया। वादी को फोन पर पता चला तब वह अपने परिवार के साथ पहुँचा देखा कि वादी की लड़की को मार कर छत के हुक में लटका दिया। विपक्षीगण हमेशा भैंस व मोटर साइकिल दहेज में माँग करते रहे। वादी के न देने पर घटना को अंजाम दिया गया है।

3. वादी के प्रार्थना–पत्र के बावत थाना–रुपईडीहा, जनपद बहराइच में मुकदमा अपराध संख्या– 382/2014, धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व धारा 3/4डी०पी० ऐक्ट कायम हुआ। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, गवाहान का बयान अंकित किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए बाद विवेचना अभियुक्तगण सुमनलता, कुंवारे, लाल जी व किरन बाला उर्फ किरन लता उर्फ फुलवा उर्फ फूलमता के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी, 302 भा०दं०सं० व धारा 3/4डी०पी० ऐक्ट में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

4. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को नकलें अन्तर्गत धारा 207 दं०प्र०सं० प्रदान की गयी।

5. अभियुक्तगण सुमनलता, कुंवारे, लाल जी व किरनबाला उर्फ किरनलता उर्फ फुलवा उर्फ फूलमता के विरूद्ध दिनाँक 12.03.2015 को धारा 498ए, 304बी, 302/34 भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० ऐक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुए परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्रम संख्या	**साक्षीगण का नाम**	
1–	पी०डब्लू० 1	अरुण कुमार सिंह (पंचायतनामा साक्षी)
2–	पी०डब्लू० 2	राधेश्याम (वादी मुकदमा)
3–	पी०डब्लू० 3	छविरानी(मृतका की माता)
4–	पी०डब्लू० 4	अजय उर्फ विजय (मृतका का भाई)
5–	पी०डब्लू० 5	डा० मोहम्मद रिजवान खान (पोस्टमार्टमकर्ता)
6–	पी०डब्लू० 6	से०नि० पुलिस उपाधीक्षक असलम खाँ (विवेचक)
7–	पी०डब्लू० 7	उ०नि० घनश्याम वर्मा (एफ०आई०आर० लेखक)
8–	पी०डब्लू० 8	नायब तहसीलदार मो० जसीम (पंचायतनामाकर्ता)

7. अभियोजन द्वारा अपने साक्षीगण के माध्यम से निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों को प्रमाणित कराया गया है–

तहरीर	प्रदर्श क–1
पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–2
नक्शा नजरी	प्रदर्श क–3

आरोप पत्र संख्या 20/2014	प्रदर्श क–4
आरोप पत्र संख्या 20ए/2014	प्रदर्श क–5
चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–6
जी०डी० कायमी	प्रदर्श क–7
पंचायतनामा	प्रदर्श क–8
फोटोनाश	प्रदर्श क–9
चालान लाश	प्रदर्श क–10
चिट्ठी आर०आई०	प्रदर्श क–11
चिट्ठी सी०एम०ओ०	प्रदर्श क–12
फर्द नमूनासील	प्रदर्श क–13

उक्त के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य कोई अभिलेखीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान में अपने विरुद्ध लगाये गये आरोप को गलत बताते हुये मुकदमे में गलत आरोप पत्र प्रेषित करने का कथन किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 1 अरुण कुमार सिंह, पी०डब्लू० 2 वादी मुकदमा राधेश्याम, पी०डब्लू० 3 छविरानी, पी०डब्लू० 4 अजय उर्फ विजय, पी०डब्लू० 5 डा० मो० रिजवान खान के बयान के सम्बन्ध में कथन किया गया है कि उपरोक्त साक्षीगण का बयान गलत है। अभियुक्तगण द्वारा विवेचक पी०डब्लू० 6 से०नि० पुलिस उपाधीक्षक असलम खाँ के बयान के सम्बन्ध में कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा गलत विवेचना की गयी है। अभियुक्तगण द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 7 उ०नि० घनश्याम वर्मा के बयान के सम्बन्ध में कथन किया गया है कि साक्षी द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर रिपोर्ट लिखी गयी है। अभियुक्तगण द्वारा पंचायतनामाकर्ता साक्षी पी०डब्लू० 8 मो० जसीम के बयान के सम्बन्ध में कथन किया गया है कि साक्षी ने जानबूझकर फर्जी पंचायतनामा बनाया है। अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त कथन में कथन किया गया है कि सारी घटना गलत है। रुपया प्राप्त करने की नियत से मुकदमा लिखाया गया है। कोई दहेज नहीं माँगा गया है। फर्जी मुकदमा लिखा गया है। प्रधानी चुनाव की दुश्मनी में नसीम प्रधान के मेली मददगार अरुण कुमार सिंह ने अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखा दिया है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्रम संख्या	**साक्षीगण का नाम**	
1–	डी०डब्लू० 1	नीबर उर्फ विश्राम (बचाव साक्षी)
2–	डी०डब्लू० 2	मो० नसीम (बचाव साक्षी)
3–	डी०डब्लू० 3	गिरजेश सिंह एड़वोकेट (बचाव साक्षी)

बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

किया गया है।

10. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

11. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा राधे की लड़की सुशीला से अतिरिक्त दहेज की मांग की, जिसकी पूर्ति न होने पर अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की पुत्री को विभिन्न तिथियों पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसकी दहेज हत्या कारित कर दी।

12. खण्डनस्वरूप अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि साक्षीगण ने घटना की पुष्टि नहीं की है। अभियुक्तगण को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

निर्णय हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किये जाते हैं–

13. **अवधार्य बिन्दु संख्या–1** क्या वर्ष 2012 में वादी मुकदमा राधे की पुत्री सुशीला का विवाह अभियुक्त लाल जी के साथ होने के उपरान्त अभियुक्तगण ने विभिन्न तिथियों पर मृतका सुशीला से अतिरिक्त दहेज की मांग की और दहेज की पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा दिनाँक 21.04.2014 को दिन में 11.00 बजे उसकी दहेज हत्या कारित कर दी? इस प्रकार अभियुक्तगण ने धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० ऐक्ट के अन्तर्गत अपराध कारित किया है।

14. **अवधार्य बिन्दु संख्या–2** क्या दिनाँक 21.04.2014, समय लगभग 11.00 बजे दिन में, बहद ग्राम भवनियापुर टिकरी, थाना रुपईडीहा, जनपद बहराइच में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा की पुत्री सुशीला की हत्या कर दी? इस प्रकार अभियुक्तगण ने धारा 302/34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अपराध कारित किया है।

15. अवधार्य बिन्दु के विश्लेषण से पूर्व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

16. अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 1 के रूप में अरुण कुमार सिंह** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि घटना सवा दो साल पूर्व की है। साक्षी के गाँव की सुशीला पत्नी लाल जी घर के अन्दर फाँसी लगाने से मृत्यु हो गयी थी। साक्षी भी घटना स्थल पर गया था। लाश घर में लटकी हुई थी। साक्षी के सामने लाश उतारी गयी थी। उसका पंचायतनामा हुआ था। पंचायतनामा के पेपर पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर बनाये थे, क्योंकि साक्षी भी पंच नियुक्त हुआ था। दरोगा जी ने साक्षी का बयान लिया था।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि साक्षी का घर और मुल्जिम लाल जी का घर थोड़ी दूर पर है। साक्षी कभी कभार मजदूर बुलाने के सिलसिले में और वैसे भी लाल जी के घर आया–जाया करता था। साक्षी की जानकारी में सुमनलता, किरन बाला उर्फ फुलवा, लाल जी व कुंवारे ने साक्षी के सामने कभी दान–दहेज की माँग नहीं किया। साक्षी ने कभी नहीं सुना था कि लाल जी आदि मुल्जिमान ने सुशीला से दान–दहेज नहीं माँगा। जब साक्षी घटनास्थल पर पहुँचा तो देखा कि लाल जी, कुंवारे,

सुमनलता व फुलवा शव के पास रो रहे थे। लाल जी की शादी मृतका सुशीला से पुरानी रिश्तेदारी में हुई थी। साक्षी लाल जी की बारात में गया था।

17. अभियोजन द्वारा **पी०डब्लू० 2 के रूप में वादी मुकदमा राधेश्याम** को परीक्षित कराया गया है। वादी मुकदमा ने अपने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतका सुशीला साक्षी की लड़की थी, जिसकी शादी साक्षी ने 19 मई 2012 को लालजी पुत्र कुंवारे के साथ अपनी क्षमतानुसार दान–दहेज देकर किया था और शादी वाले दिन ही लड़की की विदायी हो गयी थी। सुमनलता साक्षी की लड़की की सास, कुंवारे ससुर, किरनबाला उर्फ किरनलता जेठानी है। लालजी उसमें पति है। शादी के बाद से ही साक्षी की लड़की सुशीला से वह सभी लोग दहेज में भैंस व मोटर साइकिल की माँग करने लगे और उसके मरने से पहले तक इन लोगों ने उससे दहेज की माँग की थी और उसे दहेज की माँग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते थे। घटना आज से (बयान की तिथि से) लगभग छः–साढ़े छः साल पहले की है। लालजी ने उपरोक्त सभी लोगों की मदद से साक्षी की लड़की को जान से मार डाला और उसके बाद छत के हुक से उसे लटका दिया। लाल जी के गाँव के किसी व्यक्ति ने फोन करके साक्षी की लड़की के मरने की सूचना दी थी, जिस पर सभी लोग लड़की के ससुराल पहुँचे थे तो वहाँ छत के कुण्डे से साक्षी की लड़की की लाश लटकी हुई थी और सभी मुल्जिमान घर से फरार थे। साक्षी को पूरा विश्वास है कि उसके द्वारा दहेज की माँग पूरी न करने के कारण ही मुल्जिमान ने साक्षी की लड़की को मारकर टाँग दिया था। लड़की साक्षी से कहती थी कि दहेज दे दो वरना ससुराल वाले उसे मार डालेगें। साक्षी की लड़की का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हुआ था और उसकी लाश को साक्षी ने अपने घर लाकर उसका अन्तिम संस्कार किया था। साक्षी ने इस घटना के संबन्ध में एक तहरीर लिखवाया था और उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे और उसे थाने पर देकर मुल्जिमान के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया था। पत्रावली पर उपलब्ध अपनी तहरीर को देखकर व सुनकर अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि किया। तहरीर पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। दरोगा जी ने साक्षी का बयान लिया था।

वादी मुकदमा ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि वह पढ़ा–लिखा नहीं है। वादी की तीन लड़कियां हैं। सबसे बड़ी सुशीला, उसके बाद शकुन्तला तथा सबसे छोटी लक्ष्मी है। सुशीला की शादी आज से (बयान की तिथि से) लगभग 08–09 साल पहले लाल जी के साथ किया था। कुंवारे वादी की लड़की के ससुर हैं। सुमन लता सास व किरन बाला लड़की की जेठानी है। वादी की लड़की सुशीला ने जिस दिन फाँसी लगायी थी उसी दिन लाल जी के मौसा के लड़के का तिलक था। उनका नाम नीबर था। वादी नीबर के लड़के के तिलक में घटना वाले दिन गया था। जब वादी वहाँ पहुँचा था तो उस समय नीबर के लड़के के तिलक में लाल जी, सुमनलता, कुंवारे व किरन पहले से मौजूद थे। इन लोगों से वहाँ पर वादी की मुलाकात लड़की के ससुराल वालों से हुई थी। उनसे वादी ने लड़की का हालचाल पूँछा था उन लोगों ने बताया था कि आज सुबह लगभग पाँच बजे सुशीला बेहोश हो गयी थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया था लेकिन सिर में दर्द होने के कारण वह साथ में नहीं आयी है। उसके बाद वादी व लाल जी व उनके परिवार वाले तिलक आने की तैयारी में लग गये थे। सुशीला बचपन से ही कभी–कभी कुछ क्षण के लिए बेहोश हो जाती थी तथा होश आने के बाद तेज सिर दर्द होने के कारण काफी परेशान हो जाती थी। बचपन में उसे यह बीमारी 08–10 दिन के अन्तराल पर होती थी। काफी दवा इलाज कराने के बाद उसकी यह बीमारी 04–05 महीने के बाद आने लगी। डाक्टरों ने बताया था कि शादी होने के बाद जब सुशीला के बच्चे होगें तभी उसकी यह बीमारी स्वतः ठीक हो जायेगी। इसी बीमारी से परेशान होकर उसने शादी से

पहले भी फांसी लगाने की कोशिश की थी लेकिन समय से जानकारी हो जाने के बाद उन लोगों ने उसको बचा लिया था। सुशीला की शादी के बाद सुशीला की यह बीमारी सही नहीं हुई थी और कुछ अंतराल के बाद उसको झटके एवं बेहोशी की बीमारी स्वतः हो जाती थी तथा वह काफी तेज सिर दर्द के कारण काफी परेशान हो जाती थी। ससुराल वालों ने भी उसका काफी दवा इलाज कराया था। सुशीला के ससुराल वालों ने इस सम्बन्ध में वादी से बताया भी था। तब वादी ने उन लोगों से बताया था कि डाक्टर ने बताया था कि उसकी यह बीमारी ठीक हो जायेगी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद शादी में ही उसकी विदाई हो गयी थी। सुशीला का हाल–चाल लेने वादी उसके ससुराल जाता रहता था। ससुराल वालों ने वादी से कोई दहेज की माँग नहीं किया था। लाल जी, कुंवारे, सुमनलता व किरन लता ने वादी से किसी प्रकार की दहेज की माँग नहीं किया था। सुशीला ने कभी उसको ससुराल वालों द्वारा मारने–पीटने व प्रताड़ित करने की बात वादी से नहीं बताई थी। सुशीला से दहेज में उसके ससुराल वालों द्वारा भैंस व मोटर साइकिल माँगने के सम्बन्ध में वादी से नहीं बताया था। सुशीला जब भी मायके आती थी तब भी दहेज माँगने की बात नहीं बतायी थी। राजी–खुशी से रहने की बात बतायी थी। लाल जी अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपने माता–पिता व भाई से अलग दूसरे मकान में रहते थे। इन लोगों का आपस में बंटवारा हो गया था। वादी का नाम राधेश्याम है, लेकिन गाँव वाले उसे राधे के नाम से पुकारते एवं जानते हैं। सुशीला के मरने की सूचना लगभग 03.00 बजे वादी को फोन से मैनेहिया गाँव में नीबर के लड़के के तिलक समारोह में मिली थी। उस समय लाल जी व उनके पिता वादी के साथ में ही थे, उनको भी सूचना वहीं मिली थी। सूचना पाकर वह लोग व लाल जी के परिवार के लोग तुरन्त लाल जी के गाँव को चल दिये थे। लाल जी के गाँव पहुँचकर देखा कि वादी की लड़की सुशीला छत के कुंड़े में तहमद के फन्दे से लटकी हुई थी। तब वादी ने अपनी पत्नी व लड़कों को अपने गाँव से बुलवाया था। उस समय गाँव के काफी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गये थे। उसमें से किसी ने पुलिस को सूचना दिया था। पुलिस मौके पर आयी थी। वादी के सामने सुशीला का शव छत के कुन्ड़े से पुलिस वालों एवं गाँव वालों की मदद से नीचे उतारा गया था। पुलिस को घटना की सूचना देने के लिए गाँव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम वादी को नहीं मालूम है, एक तहरीर लिखवा कर पुलिस को दिया था। उसने क्या लिखा था यह वादी को नहीं मालूम है क्योंकि लिखने वाले ने वादी को पढ़कर सुनाया नहीं था। वादी से केवल हस्ताक्षर बनवा लिया था। वादी लिखना पढ़ना नहीं जानता है, केवल हस्ताक्षर बना सकता है। सुशीला की लाश को वादी ने भी देखा था लेकिन उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई चोट का निशान नहीं था। सुशीला ने बचपन से ही दोनों जांघों का जन्म चिन्ह जन्म से ही मौजूद था। लाश का पोस्टमार्टम पुलिस वालों ने कराया था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस वालों ने सुशीला की लाश को वादी को सौंप दिया था। तब वादी ने उसे अपने गाँव ले जाकर उसका अन्तिम संस्कार किया था। तहरीर लिखने वाले से वादी ने लाल जी, कुंवारे, सुमनलता व किरन लता के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी उसने इन लोगों का नाम कैसे लिख दिया वादी को नहीं मालूम है। विवेचक ने वादी का बयान नहीं लिया था। वादी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन सुशीला के पति लाल जी, सास सुमनलता, ससुर कुंवारे तथा जेठानी किरन लता ग्राम मैनहिया में नीबर के लड़के संजू के तिलह समारोह में वादी के नहीं थे। यह कहना भी गलत है कि सुशीला के ससुराल वाले वादी से दहेज में भैंस व मोटर साइकिल की माँग करते थे तथा उसे दहेज के लिये प्रताड़ित व मारते–पीटते थे। यह भी कहना गलत है कि तहरीर लिखने वाले ने तहरीर को लिखकर वादी को सुनाया था। यह कहना सही है कि सुशीला व उसके पति को बंटवारे मे केवल एक कमरा ही मिला था, उसी में सामान सहित वह रह रही

थी। यह कहना भी सही है कि वह अपनी बीमारी के कारण बचपन से ही काफी परेशान रहती थी। यह कहना भी सही है कि मुल्जिमानों ने सुशीला से दहेज में मोटर साइकिल व भैंस की माँग नहीं की थी। यह कहना भी सही है कि वादी की लड़की सुशीला ससुराल में राजी–खुशी से रह रही थी। यह कहना भी सही है कि घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने उसका बयान नहीं नहीं लिया था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों से सुलह हो जाने के कारण वह उनसे मिल गया है और आज न्यायालय पर झूंठी गवाही दे रहा है।

18. अभियोजन द्वारा **साक्षी पी०डब्लू० 3 के रूप में छविरानी** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतका सुशीला साक्षी की पुत्री थी, जिसकी शादी साक्षी ने लालजी पुत्र कुंवारे के साथ किया था। शादी कितने साल पहले साल किया था, याद नहीं है, फिर कहा 8–9 साल हुए होगें। सुमनलता, सुशीला की सास हैं और कुवांरे उनकी सास है। किरनलता सुशीला की जेठानी है और लालजी उसके पति हैं। साक्षी की लड़की सुशीला की मृत्यु उसके ससुराल में हुई थी। मृत्यु की सूचना पाकर वह लोग उसके ससुराल गये थे। सुशीला वहाँ मृत अवस्था में थी। शादी के बाद सुशीला का मायके से ससुराल आना जाना होता था। सुशीला ने साक्षी से यह कभी नहीं बताया था कि उपरोक्त सभी मुल्जिमान उससे अतिरिक्त दहेज की माँग में मोटरसाइकिल व भैंस मांगते हैं और इस माँग को लेकर उसको मारते–पीटते और प्रताड़ित करते हैं।

इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि विवेचक ने साक्षी का बयान नहीं लिया था। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया और समझाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था, उन्होनें कैसे लिख लिया साक्षी नहीं बता सकती। साक्षी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसकी लड़की सुशीला की शादी इस घटना से 02 साल पहले ही हुई थी। यह भी कहना गलत है कि सुशीला के पति लाल जी व उपरोक्त अन्य मुल्जिमान दहेज में भैंस और मोटर साइकिल की माँग करते थे और उसको लेकर साक्षी की लड़की को मारते–पीटते और प्रताड़ित करते थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को सजा से बचाने के लिये न्यायालय में आज झूंठी गवाही दे रही है।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि सुशीला और उसके पति लाल जी अपने माता–पिता व भाई से बंटवारा करके अलग रहते थे। साक्षी की लड़की सुशीला शादी के पहले से मानसिक रूप से बीमार रहती थी जिसके कारण उसको बेहोशी के दौरे पड़ते थे। बेहोशी के बाद उसको तेज सिर दर्द होता था लेकिन कुछ समय के बाद वह ठीक हो जाती थी। सुशीला का इलाज साक्षी ने तथा उसके ससुराल वालों ने भी कराया था। डाक्टर ने बताया था कि उसकी यह मर्ज शादी के बाद ही ठीक होगी। इस बीमारी के कारण सुशीला शादी के पहले मायके में भी आत्महत्या करने का प्रयास कर चुकी थी लेकिन उन लोगों को समय से जानकारी हो जाने के कारण उसको बचा लिया गया था। सुशीला के ससुराल वालों ने कभी दहेज की माँग नहीं की थी। साक्षी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि अतिरिक्त दहेज की माँग पूरी न करने के कारण सुशीला को उसके ससुराल वालों ने मार डाला था। यह कहना सही है कि सुशीला ससुराल में राजी–खुशी से रहती थी। यह कहना सही है कि सुशीला की मृत्यु के दिन उसके ससुराल वाले ग्राम मैनिहया में एक तिलक समारोह में शामिल होने गये थे वहाँ पर साक्षी के पति भी गये थे।

उपरोक्त साक्षी को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभिकथित घटना से

पूर्णतया इन्कार किया है और अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने अथवा कथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता के तथ्य से इंकार किया है। इसलिये इस साक्षी का साक्ष्य अभियोजन कथानक के सापेक्ष विश्वसनीय प्रकृति का साक्ष्य नहीं है और तात्विक अन्तरविरोधों से युक्त होने के कारण सम्पुष्टीकरण के बिना साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

19. अभियोजन द्वारा **साक्षी पी०डब्लू० 4 के रूप में अजय उर्फ विजय** को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतका सुशीला साक्षी की बहन थी, जिसकी शादी साक्षी के पिताजी ने उसकी मृत्यु से लगभग 02 साल पहले लालजी पुत्र कुंवारे के साथ अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज देकर किया था और उसी दिन उसकी विदाई कर दी थी। शादी के बाद से ही साक्षी की बहन की सास सुमनलता, ससुर कुंवारे, जेठानी किरनबाला उर्फ किरनलता और उसके पति लाल जी उससे मायके से दहेज में भैंस और मोटर साइकिल लाने की माँग करने लगे, जिसको साक्षी की बहन जब भी आती थी तो उन लोगों से बताती थी और इस माँग को लेकर मृत्यु से पूर्व तक वह लोग उसको मारते–पीटते रहे। घटना आज से (बयान की तिथि से) साढ़े छः साल पहले की है। इन सभी लोगों ने साक्षी की बहन को मारकर छत के हुक से लटका दिया था। बहन के मृत्यु की सूचना गाँव के किसी व्यक्ति ने दिया था। इस सूचना पर सभी लोग पहुँचे तो साक्षी की बहन वहाँ पर मृत मिली थी। बहन की लाश का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हुआ था और उसके शव को अपने घर लाकर उसका दाह संस्कार अपने घर पर किया था। इस घटना की सूचना थाने पर साक्षी के पिता जी ने लिखित दिया था, जिस पर मुकदमा कायम हुआ था। सी०ओ० साहब ने साक्षी का बयान लिया था।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि सुशीला साक्षी की बड़ी बहन है। सुशीला का विवाह लाल जी के साथ हुआ था। सुशीला विदा होकर लाल जी के साथ गयी थी। साक्षी सुशीला से मिलने लाल जी के घर जाता रहता था। सुशीला ससुराल में राजी–खुशी के साथ रहती थी और सुशीला जब भी मायके आती थी राजी खुशी रहने की बात बताती थी। सुशीला के ससुराल वालों ने दान–दहेज की माँग नहीं की थी। दहेज की माँग न तो साक्षी के सामने हुई थी और न ही साक्षी की बहन ने उससे बताया था। तहरीर में भैंस व मोटर साइकिल की माँग को लेकर साक्षी की बहन सुशीला को मारने–पीटने व मारकर लटकाने वाली बात साक्षी की जानकारी में नहीं है। तहरीर न तो साक्षी को सुनाई गयी थी और नही साक्षी के पिता जी को ही लिखने वाले ने सुनाया था। साक्षी पढ़ा–लिखा नहीं है। उसकी बहन जिस दिन फाँसी लगाकर लाल जी के घर मिली थी उस दिन लाल जी, कुंवारे, सुमनलता व किरनबाला मैनेहिया निवासी नीबर के घर लड़के के तिलक में गये थे। वहाँ पर साक्षी के घर परिवार का न्यौता था, न्यौता में उसके पिता जी गये थे। साक्षी की बहन सुशीला बचपन से मानसिक रोगी थी। अपने रोग से साक्षी की बहन परेशान रहती थी। साक्षी के माता–पिता ने उसका काफी इलाज कराया था लेकिन इस रोग से वह ठीक नहीं हुई थी। इसी बीमारी को लेकर साक्षी की बहन सुशीला ने उसके घर पर एक बार फाँसी लगाने का प्रयास किया था लेकिन समय से जानकारी हो जाने के कारण उन लोगों ने उसको बचा लिया था। शादी के बाद भी साक्षी की बहन ससुराल में इस मानसिक रोग से परेशान रहती थी। ससुराल में भी उसके ससुराल वालों ने उसका काफी इलाज करवाया था। साक्षी के जीजा अपने माता–पिता व भाई से बंटवारा करके उसकी बहन सुशीला के साथ अलग रहते थे। साक्षी की बहन की फाँसी लगाने की सूचना उसके पिता जी ने घर वालों को दिया था। इसी सूचना पर साक्षी अपनी माता व परिवार के अन्य लोगों के साथ वहाँ पर गया था। वहाँ पर ससुराल वाले भी मौजूद थे। शव

का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस वालों ने शव को उन लोगों को सौंप दिया था। उन लोगों ने दाह संस्कार किया था। पुलिस ने साक्षी का बयान नहीं लिया था। साक्षी के आगे कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसकी बहन बचपन से मानसिक रूप से बीमार रहती थी और उसी कारण से कभी–कभी बेहोश हो गयी थी। यह कहना गलत है कि सुशीला के ससुराल वालों ने भैंस व मोटर साइकिल की माँग किया था। यह कहना सही है कि बहन मानसिक रूप से बीमार होने के कारण उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

20. अभियोजन द्वारा **साक्षी पी०डब्लू० 5 के रूप में डा० मो० रिजवान खान** को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 22.04.2014 को साक्षी जिला अस्पताल बहराइच में ई०एम०ओ० के पद पर कार्यरत था। उसी दिन मृतका सुशीला पत्नी लालजी के शव का शव विच्छेदन हेतु शव को सीलमुहर हालत में कां० प्रमोद कुमार यादव व पी०आर०डी० रामकुमार द्वारा पुलिस प्रपत्रों के साथ उसी दिन 03.45 पर लाया गया था, जिसका शव विच्छेदन साक्षी ने रिजवी के सहयोग से किया था। शव विच्छेदन सायंकाल 04.00 बजे से 04.30 बजे तक किया था। शव की पहचान मृतका के पिता राधेश्याम द्वारा की गयी थी। मृतका सामान्य कद काठी की थी, उसकी ऊँचाई 156 सेमी० थी। मृत्यु पश्चात अकड़न शरीर के ऊपरी भुजाओं से पास हो चुकी थी और निचली भुजाओं में मौजूद थी। आँखे बंद थी, मुँह आधा खुला हुआ था। इन्जेक्टायवा के नीचे हैमरेज मौजूद था। मृत्यु पूर्व चोटें– 1– लिगेचर मार्क 32 सेमी० X 1.5 सेमी० गर्दन के चारों तरफ ट्रांसवर्सली थाइराइड के ऊपर व 4.5 सेमी० दोनों कानों के नीचे मौजूद था, जिसमें एकाइमोसिस था। साफ्ट टीश्यू के नीचे खून के थक्के थे। साफ्ट टीश्यू में पिटीटिल हेमरेज मौजूद थे। आन्तरिक परीक्षण– हाइडबोन का बांया कार्नवा टूटा हुआ था। ब्रेन, ब्रेन की झिल्लियां, मस्तिष्क, कंठनली व स्वरग्रन्थि ग्रीवा के आन्तरिक ऊतक, श्वांस नली व वायु प्रणाली और फेफड़े कंजस्टेड थे। हृदय का दाहिना चैंबर भरा हुआ था और बांया खाली था। आमाशय खाली था। छोटी आँत में गैसेस व बड़ी आँत में गैसेस व मल पदार्थ मौजूद था। प्लीहा कन्जस्टेड था, गुर्दे कन्जस्टेड थे, बच्चेदानी सामान्य थी, कोई भ्रूण नहीं था। मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम करने से डेढ़ दिन पूर्व लगभग होना सम्भव है। साक्षी की राय में मृतका की मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन के परिणामस्वरूप श्वांस के अवरुद्ध हो जाने के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या 210–B–210914 शामिल पत्रावली है, साक्षी के लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर साक्षी के सहयोगी डाक्टर एस०जेड़०एच० रिजवी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं, इसकी पुष्टि साक्षी द्वारा की गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर **प्रदर्श क–2** डाला गया है।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि इस समय साक्षी जिला चिकित्सालय बहराइच में नेत्र सर्जन के पद पर तैनात है। मृतका सुशीला का पोस्टमार्टम दिनाँक 22.04.2014 को किया था। उस समय भी साक्षी जिला चिकित्सालय में था। मृतका सुशीला के शव का परीक्षण/विच्छेदन करते समय जो साक्षी ने देखा था वह लिखा है और लिगेचर मार्क का रेंखाकन किया है। पत्रावली में शामिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साक्षी ने पढ़ा है और लिगेचर मार्क को देखा है। मृतका सुशीला का शव परीक्षण करते समय उसके शरीर पर निम्न जेवरात पाये थे– 1– बिछुवा (6), 2– पायल (2), 3– चूंड़ियां टूटी हुई, 4– रिंग (4) हाथों में, 5– नाक की कील सोने की एक, 6– साड़ी एक, 7– झुमकी एक जोड़ी चांदी की, 8– ब्लाउज एक, 9– मोती माला एक। उपरोक्त पहनावा किसी भी स्त्री का पूरा पहनावा है और यह सब अपने यथास्थान अंगों पर था। पी०एम० स्टेनिंग के सम्बन्ध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। मृतका के ऊपरी लिम्ब में अकड़न उतर चुकी थी। निचली लिम्ब में अकड़न बाकी थी। किसी मृत शरीर में 06–12 के बीच पूरे अंगों में अकड़न आ जाती है। मृतक शरीर

की अकड़न 24 से 48 घण्टे में उतर जाती है। अकड़न की स्थिति जलवायु पर निर्भर करती है। अगर मौसम ठण्ड़ा है तो अकड़न चढ़ने व उतरने की स्थिति धीरे होगी और गर्मी का मौसम है तो अकड़न तेजी से होगी। लाश के आन्तरिक प्यूट्रीफिकेशन की प्रक्रिया 07 दिन के बाद शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया आन्तरिक अंगों से पहले शुरू हो जाती है। लाश के सड़ने गलने की प्रक्रिया जलवायु पर निर्भर करती है तथा 02 से 04 दिन के बाद शुरू होती है। शव विच्छेदन के समय लाश के तापमान के सम्बन्ध में कोई अंकन नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विघटन का अंकन नहीं किया गया है क्योंकि शव में परीक्षण के दौरान कोई विघटन नहीं था। पी०एम० स्टेनिंग से शव की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। शव औसत कद–काठी का था। मुँह आधा खुला था। आँख की झिल्ली के नीचे हेमरेज (खून के चकत्ते) पड़े हुए थे। गर्दन पर लिगेचर के कसाव के कारण ऊपरी अंगों में रक्त के लीक होने के कारण रक्त के चकत्ते पड़ सकते हैं जिससे आँख, नाक, कान व मुँह से खून भी आ सकता है। मृतका सुशीला के शव के नाक, कान, मुँह से खून नहीं था। इस केस की मृतका सुशीला देवी हैं, जिनका पोस्टमार्टम साक्षी के पैनल द्वारा किया गया था। मृतका सुशीला का मृत शरीर एक सफेद कपड़े में शील मोहर था। मृतका का शव कवर साक्षी के पैनल द्वारा खोला गया था और परीक्षण किया गया था। बंधन की सामग्री जैसे रस्सी, दुपट्टा या कोई लम्बा कपड़ा आदि नहीं था और न ही उसका कोई परीक्षण किया गया था। मृतका के शरीर पर कोई चोट आदि का निशान नहीं था। निशान गले पर एक लिगेचर बन्धन चिन्ह का था। जब कोई बाँधकर स्वंय लटकता है तब शारीरिक भार के कारण बन्धन का फन्दा कस जाता है। फलस्वरूप वायु मार्ग अवरोध हो जाता है जिससे श्वसन का अवरोध हो जाता है जिसके कारण वायुकोष्ठों में वायु नहीं पहुँच पाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब पूरे शरीर का भार गर्दन के ऊपर पड़ता है तो हायड़ बोन फ्रैक्चर हो सकती है और हड्डी टूट सकती है इसके बारे में साक्षी नहीं कह सकता है(निश्चित रूप से)। मृतका की मृत्यु होने से मृतका के बन्धन चिन्ह से खून नहीं निकला है। यहाँ साक्षी ने मृतका सुशीला के शरीर का परीक्षण करते समय संघर्ष के चिन्ह जैसे नाखून मारना आदि या धूल मिट्टी लगा होना आदि मृतका के शरीर पर नहीं पाया था। बन्धन चिन्ह मृतका के गले में किस प्रकार का प्रयोग किया था (रस्सी, दुपट्टा) आदि क्या था इसके बारे में साक्षी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि क्या था। पोस्टमार्टम के समय उसका स्टमक खाली था। साक्षी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मृतका की मृत्यु फाँसी पर लटकने से हुई थी। यह कहना गलत है कि उसके ऊपर कोई राजनैतिक दबाव था उसी कारण से उसने गलत रिपोर्ट लगाया था।

उपरोक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है, जिसके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया गया है।

21. अभियोजन द्वारा **साक्षी पी०डब्लू० 6 के रूप में से०नि० पुलिस उपाधीक्षक असलम खाँ** को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 22.04.2014 को साक्षी क्षेत्राधिकारी नानपारा के पद पर नियुक्त था। उसी दिन थाना रुपईडीहा में अ०सं० 382/2014, धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० ऐक्ट बनाम श्रीमती सुमन लता आदि पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना हेतु एफ०आई०आर० की प्रति व नकल रपट प्राप्त होने पर साक्षी ने दिनांक 22.04.2014 को ही विवेचना प्रारम्भ किया। नकल एफ०आई०आर० करने के पश्चात नकल रपट का अवलोकन किया तथा एफ०आई०आर० लेखक कां० मो० घनश्याम वर्मा का बयान अंकित किया गया। दिनांक 23.04.2014 को बयान वादी राधेश्याम का बयान अंकित किया गया तथा वादी राधेश्याम को साथ लेकर उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी

घटना स्थल बनाया गया तथा साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। नक्शा नजरी शामिल पत्रावली है, जो साक्षी के हस्तलेख में है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि साक्षी द्वारा की गयी है, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। दिनाँक 23.04.2014 को ही गवाह अरुण कुमार सिंह, मो० नसीम, बयान उ०नि० श्री सुदामा लाल, ननकऊ, राम मनोरथ, भगौती का बयान अंकित किया गया। दिनांक 24.04.2014 को छवीराज, उमाशंकर, अजय के बयान अंकित किये गये। मृतका सुशीला के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० धारा 302 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी। दिनांक 24.04.2014 को ही श्री रामू व नायब तहसीलदार श्री मो० जशीम का बयान अंकित किया गया तथा साक्ष्य के आधार पर किरनबाला की संलिप्तता पाये जाने पर किरनबाला को अभियुक्तगण में शामिल किया गया। मुल्जिम की गिरफ्तारी हेतु थाना रुपईडीहा को गुम तहरीर दी गयी। दिनांक 26.04.2014 को शपथ पत्र राधेश्याम व अरुण कुमार के प्राप्त होने पर अवलोकन करते हुए राधेश्याम व अरुण का बयान अंकित किया गया। थाना रुपईडीहा में माल दाखिल सम्बन्धी जी०डी० की नकल प्राप्त होने पर अवलोकन किया गया। दिनांक 27.04.2014 को अभियुक्त कुंवारे व लालजी की गिरफ्तारी की सूचना थाना रुपईडीहा से प्राप्त होने पर थाना रुपईडीहा जा कर अभियुक्त कुंवारे व लालजी का बयान अंकित किया गया तथा 164 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान अंकित करने हेतु रिपोर्ट की गयी। दिनांक 09.05.2014 को अभियुक्त की रिमाण्ड हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। दिनांक 17.05.2014 को भी अभियुक्त सुमनलता के आत्मसमर्पण की सूचना प्राप्त होने पर उक्त सूचना का अवलोकन किया गया। दिनांक 28.05.2014 को अभियुक्ता सुमन लता का बयान अंकित किया गया। एक गवाह सुनील का बयान अंकित किया गया। दिनांक 29.05.2014 को अभियुक्त सुमनलता, कुंवारे तथा लालजी के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी, 302 भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० ऐक्ट का अपराध पूर्णतयः साबित होने पर इनके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 20/2014 दिनांक 29.05.2014 को प्रेषित किया गया। आरोप पत्र संख्या 20/2014 शामिल पत्रावली है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया, जो साक्षी के हस्तलेख में है, जिसकी पुष्टि की साक्षी द्वारा की गयी। दिनांक 01.06.2014 को अभियुक्त किरनबाला उर्फ किरनबाला के संबन्ध में ग्राम प्रधान भवनियापुर से तहरीर प्राप्त की गयी, जिसमें किरनलता उर्फ किरनबाला व फूलमता का बयान अंकित किया गया तथा मतदाता सूची का अवलोकन किया गया। अभियुक्त किरनबाला द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर देने पर समर्पण सूचना प्राप्त होने पर उसका अवलोकन किया गया। दिनांक 17.06.2014 को अभियुक्ता किरन बाला उर्फ किरनलता उर्फ फूलमता के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी, 302 भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० ऐक्ट बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र संख्या 20ए/14 दिनांकित 17.06.2014 को दिया गया, जो शामिल पत्रावली है, जो साक्षी के हस्तलेख में है, जिसमें लिखे तथ्यों की पुष्टि साक्षी द्वारा की गयी है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि साक्षी ने जो बयान न्यायालय पर दिया है वह पत्रावली में पढ़कर दिया है। इस मुकदमे में वादी का नाम राधेश्याम है। राधेश्याम का बयान साक्षी ने दिनाँक 23.04.2014 को लिया है उसके बाद दिनाँक 26.04.2014 को लिया है। इस मुकदमे का नक्शा नजरी दिनाँक 23.04.14 को बनाया गया है। किसी भी गवाह का बयान धारा 164 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित नहीं कराया गया है। यह कहना गलत है कि राजनैतिक प्रेशर में गलत तरीके से बयान अंकित करके आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। यह कहना गलत है कि साक्षी के सामने किसी गवाह ने कोई बयान नहीं दिया है। यह कहना गलत है कि उसने बयान फर्जी तरीके से लिखे और नक्शा

नजरी फर्जी तरीके से बनाया एवं आरोप पत्र फर्जी तरीके से न्यायालय प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त साक्षी भी औपचारिक साक्षी है, जिसके द्वारा नक्शा नजरी व आरोप पत्र को साबित किया गया है।

22. अभियोजन द्वारा **साक्षी पी०डब्लू० 7 के रूप में उ०नि० घनश्याम वर्मा** को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 22.04.2014 को साक्षी थाना रुपईडीहा पर बतौर कां मुंशी के पद पर तैनात था। उसी तिथि में वादी मुकदमा राधेश्याम द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 382/2014, धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० ऐक्ट, थाना रुपईडीहा में पंजीकृत हुआ था। जिसकी चिक एफ०आई०आर० व कायमी जी०डी० सं० 6 समय 06.15 दिनांक 22.04.2014 तैयार की थी, जो संलग्न पत्रावली है। पत्रावली को देखकर साक्षी ने बताया कि उसके द्वारा तैयार की गयी है। पत्रावली में संलग्न चिक एफ०आई०आर० को देखकर साक्षी ने उसकी पुष्टि किया, जिस पर **प्रदर्श क–6** तथा कायमी जी०डी० की कार्बन प्रति पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। विवेचक ने साक्षी का बयान लिया था।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि लिखित तहरीर साक्षी को मिली थी उसी के आधार पर एफ०आई०आर० लिखा था। एफ०आई०आर० दिनांक 22.04.2014 को समय 06.15 पर साक्षी द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। स्पेशल रिपोर्ट साक्षी द्वारा भेजी गयी थी, कब भेजा गया जी०डी० में अंकित है, याद नहीं है, जी०ड़ी० साक्षी ने ही किया है। वादी मुकदमा अकेला आया था। घटना का कारण एफ०आई०आर० लिखने से पहले जानने का कारण पता किया गया था। यह साक्षी नहीं बता सकता है कि मृतका ने स्वंय फाँसी लगाया था या लटकाया गया था। यह कहना गलत है कि साक्षी ने व सी०ओ० साहब ने मिलकर मुल्जिम को फर्जी फंसाने के लिए फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया है।

उपरोक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है, जिसके द्वारा चिक एफ०आई०आर० व जी०डी० कायमी को साबित किया गया है।

23. अभियोजन द्वारा **साक्षी पी०डब्लू० 8 के रूप में मो० जसीम** को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि साक्षी दिनांक 22.04.2014 को नायब तहसीलदार नानपारा के पद पर तैनात था। पुलिस की सूचना पर ग्राम टिठूरी भवनियापुर पहुँचा। वहाँ पर मृतका का शव कमरे की छत के हुक में लटका हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से उतरवाकर आँगन में रखा गया। मृतका के परिजन व ग्रामवासी मौके पर मौजूद थे, जिनमें से पाँच व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। उन्हें उनके अधिकार कर्तव्यों के बारे में बताया गया। नियुक्त पंचान में रामू पुत्र ननकऊ, प्रदीप कुमार पुत्र राममिलन, अच्छन खाँ पुत्र पुत्तन खाँ, अरुण कुमार पुत्र स्व० तेज सिंह व ग्राम प्रधान मो० नसीम शामिल थे। मृतका के शव को देखकर शव की दशा, हुलिया, पहनावा व चोट देखकर उसका अंकन पंचायतनामा में किया गया और पंचान की राय ली गयी। सभी पंचान ने फाँसी के फन्दे में लटकने के कारण मृत्यु होना बताया और पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी गयी। पंचान की राय के मुताबिक शव को सील मुहर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पंचायतनामा व उससे संलग्न प्रपत्रों को उ०नि० सुदामालाल को बोल बोल कर उनसे लिखाया गया। पंचायतनामा संलग्न पत्रावली है, जिसे साक्षी ने देखकर व पढ़कर उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया और उसमें लिखे तथ्यों की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। पत्रावली में संलग्न फोटोनाश, चालाननाश, चिट्ठी आर०आई०, चिट्ठी सी०एम०ओ० तैयार

किया जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं तथा नमूनासील की फर्द तैयार की, जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उपरोक्त कागजात शामिल पत्रावली पर **प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12** व **प्रदर्श क–13** डाला गया।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि साक्षी ने जिस समय मृतका का शव देखा था उस समय शव किस तरह बंधा था याद नहीं है। किस प्रकार से वह ऊपर बाँधने गयी साक्षी यह भी नहीं बता सकता है। मृतका के पैर के नीचे कोई स्टूल या साधन था या नहीं, याद नहीं है। मृतका का पैर उस समय खींचा हुआ था या सामान्य था यह साक्षी नहीं बता सकता है। हुक से मृतका की बाड़ी कितने नीचे थी यह भी नहीं बता सकता है। यह कहना गलत है कि वहां की सारी घटना गलत थी और मुल्जिम को फंसाने के लिए पुलिस ने स्वंय घटना बनाया था।

उपरोक्त साक्षी भी औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा पंचायतनामा व उससे सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों को साबित किया गया है।

24. अवधार्य बिन्दु के निस्तारण से पूर्व प्रस्तुत प्रकरण से संबन्धित विधिक प्राविधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

धारा– 498 ए भा०दं०सं०– जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण, जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे उस को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को जो चाहे मानसिक हो, या शारीरिक गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है या,

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति का मूल्यवान प्रतिभूति की कोई माँग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी कोई माँग पूरी करने में असफल रहा है।

धारा 304 बी भा०दं०सं० के अनुसार– जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने, दहेज की किसी माँग के लिए, या उसके संबन्ध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जायेगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा।

धारा 113–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम दहेज मृत्यु के संबन्ध में उपधारणा का प्राविधान करती है, जिसके अनुसार जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने

किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की माँग के लिए या उसके संबन्ध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–बी में है।

सुनील बजाज बनाम स्टेट आफ एम०पी० 2002 सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल) 608 एवं बलजीत बनाम स्टेट आफ हरियाणा ए०आई०आर० 2004 एस०सी० 1714, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304–बी भा०दं०सं० को सिद्ध करने हेतु पक्ष को निम्नलिखित संघटकों को साबित करना होगा–

1– महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक उपहति या सामान्य परिस्थिति से अन्यथा हुई है।

2– ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है।

3– उसे उसके पति या पति के किसी सम्बन्धी द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन रखा गया है। ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की माँग के संबन्ध में की गयी है।

4– ऐसी क्रूरता महिला की मृत्यु के ठीक पूर्व कारित की गयी हो।

इस प्रकार धारा 304–बी भा०दं०सं० एवं धारा 113–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सम्मिलित विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन को यह साबित करना होगा कि मृतका की मृत्यु के कुछ समय पूर्व मृतका के प्रति क्रूरता बरती गयी या उसे तंग किया गया। अभियोजन का यह भी दायित्व है कि वह यह साबित करें कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई है। मृत्यु के ठीक पूर्व का तात्पर्य प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, उसके लिए कोई अनन्य सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया जा सकता कि घटना के पूर्व का कितना समय 'ठीक पूर्व' का समय माना जायेगा। यह मापदण्ड सामीप्य या निकटता का होना चाहिए।

25. **निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या–1** अवधार्य बिन्दु संख्या 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वर्ष 2012 में वादी मुकदमा राधे की पुत्री सुशीला का विवाह अभियुक्त लाल जी के साथ होने के उपरान्त अभियुक्तगण ने विभिन्न तिथियों पर मृतका सुशीला से अतिरिक्त दहेज की मांग की और दहेज की पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा दिनाँक 21.04.2014 को दिन में 11.00 बजे उसकी दहेज हत्या कारित कर दी?

<u>मृतका तथा अभियुक्त लाल जी के मध्य विवाह की पुष्टि के संबन्ध में विश्लेषण</u>

26. वादी मुकदमा राधे द्वारा तहरीर में यह कथन किया गया है कि वादी ने अपनी लड़की सुशीला की शादी वर्ष 2012 में लाल जी पुत्र कुंवारे के साथ किया था। वादी मुकदमा द्वारा बतौर पी०डब्लू० 2 अपनी मुख्य परीक्षा में भी इस बात की पुष्टि करते हुये कथन किया गया है कि मृतका सुशीला उसकी लड़की थी जिसकी शादी वादी ने 19 मई 2012 को लाल जी पुत्र कुंवारे के साथ अपनी क्षमतानुसार दान–दहेज देकर किया था और शादी वाले दिन ही

विदाई हो गयी थी। पी०डब्लू० 3 छविरानी, जो कि मृतका की माँ हैं, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मृतका की शादी लाल जी पुत्र कुंवारे के साथ हुई थी। पी०डब्लू० 4 अजय उर्फ विजय जो कि मृतका का भाई है द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि मृतका सुशीला साक्षी की बहन थी जिसकी शादी उसके पिता जी ने उसकी मृत्यु से लगभग 02 साल पहले लालजी पुत्र कुंवारे के साथ किया था। धारा 313 दं०प्र०सं० के बयान में भी अभियुक्तगण द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है कि मृतका सुशीला व अभियुक्त लाल जी की शादी दिनाँक 19.05.2012 को हुई थी। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मृतका सुशीला की शादी अभियुक्त लाल जी के साथ हुई थी।

27. न्यायालय को अब यह निर्धारित करना है कि मृतका सुशीला की मृत्यु अभियुक्त लाल जी के साथ शादी के सात वर्ष के अन्दर किसी दाह अथवा शारीरिक क्षति के द्वारा कारित की गयी, जो कि सामान्य परिस्थितयों से अन्यथा है। इस बिन्दु के निर्धारण के लिए न्यायालय को पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु का कारण तथा मृत्यु की तारीख का विश्लेषण करना होगा।

<u>पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु का कारण तथा मृत्यु की तारीख का विश्लेषण</u>

28. वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में यह अंकित किया गया है कि वादी ने अपनी लड़की (सुशीला) की शादी वर्ष 2012 में लाल जी पुत्र कुंवारे के साथ किया था परन्तु विदाई से लेकर मार डालने तक सुमनलता (सास), कुंवारे (ससुर), लाल जी (पति) ये लोग शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दहेज के कारण देते रहे। दिनाँक 21.04.2014 को समय अपारन्ह 11.00 बजे दिन वादी की लड़की सुशीला को सुमनलता, कुंवारे और लाल जी ने मिलकर लात, मुक्का, घूसों से मारकर जान से मार डाला है। विपक्षीगण हमेशा भैंस व मोटर साइकिल दहेज में माँग करते रहे। वादी के न देने पर घटना को अंजाम दिया गया है।

29. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से विदित होता है कि घटना दिनांक 21.04.2014 को समय 11.00 बजे दिन की है। वादी द्वारा थाने पर सूचना दिनांक 22.04.2014 को समय 06:15 बजे दी गयी है। घटना स्थल भवनियापुर टिकुरी, थाना रुपईडीहा दिखाया गया है। एफ०आई०आर० लेखक उ०नि० घनश्याम वर्मा द्वारा बतौर पी०डब्लू० 7 प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–9 तथा जी०डी० कायमी को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है।

30. पंचायतनामा प्रदर्श क–8 जिसे अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 8 नायब तहसीलदार नानपारा मो० जसीम द्वारा साबित किया गया है, के परिशीलन से विदित होता है कि पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक 22.04.2014 को समय 07:40 बजे शुरु होकर दिनांक 22.04.2014 को समय 09:30 बजे समाप्त होना अंकित। पंचायतनामा में मृतका के गले में अर्द्धचन्द्राकार लिगेचर मार्क बना होना तथा पीठ पर हल्का खरास तथा दोनों जांघों में लाल निशान के अलावा अन्य कोई जाहिरा चोट होना अंकित नहीं है।

31. पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 5 डा० रिजवान खान के माध्यम से साबित कराया गया है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के परिशीलन से विदित होता है कि पोस्टमार्टम की कार्यवाही दिनांक 22.04.2014 को 04.00 पी.एम. पर प्रारम्भ हुई तथा 04.30 पी.एम. पर समाप्त हुई। मुख्यतः गवाह द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि मृत्यु पश्चात अकड़न

शरीर के ऊपरी भुजाओं से पास हो चुकी थी और निचली भुजाओं में मौजूद थी। आँखे बंद थी, मुँह आधा खुला हुआ था। इन्जेक्टायवा के नीचे हैमरेज मौजूद था। मृत्यु पूर्व चोटें– 1– लिगेचर मार्क 32 सेमी० X 1.5 सेमी० गर्दन के चारों तरफ ट्रांसवर्सली थाइराइड के ऊपर व 4.5 सेमी० दोनों कानों के नीचे मौजूद था, जिसमें एकाइमोसिस था। साफ्ट टीश्यू के नीचे खून के थक्के थे। साफ्ट टीश्यू में पिटीटिल हेमरेज मौजूद थे। आन्तरिक परीक्षण– हाइडबोन का बांया कार्नवा टूटा हुआ था। ब्रेन, ब्रेन की झिल्लियां, मस्तिष्क, कंठनली व स्वरग्रन्थि ग्रीवा के आन्तरिक ऊतक, श्वांस नली व वायु प्रणाली और फेफड़े कंजस्टेड थे। हृदय का दाहिना चैंबर भरा हुआ था और बांया खाली था। आमाशय खाली था। छोटी आँत में गैसेस व बड़ी आँत में गैसेस व मल पदार्थ मौजूद था। प्लीहा कन्जस्टेड था, गुर्दे कन्जस्टेड थे, बच्चेदानी सामान्य थी, कोई भ्रूण नहीं था। मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम करने से डेढ़ दिन पूर्व लगभग होना सम्भव है। साक्षी की राय में मृतका की मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन के परिणामस्वरूप श्वांस के अवरुद्ध हो जाने के कारण हुई थी।

32. प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेखनीय है कि विवेचक असलम खाँ जो पी०डब्लू० 6 के रूप में परीक्षित हुए हैं, उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि उनके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी है।

33. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा किये गये कथन के अनुसार मृतका की मृत्यु दिनांक 21.04.2014 को हुई है तथा पोस्टमार्टम दिनांक 22.04.2014 को हुआ, जिसके अनुसार भी मृत्यु का संभावित समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एक–डेढ़ दिन पूर्व का है, जो कि दिनांक 21.04.2014 को आता है। इससे स्पष्ट होता है कि पीड़िता की मृत्यु दिनांक 21.04.2014 को हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एण्टीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन अंकित है। न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या मृतका की मृत्यु एण्टीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन (गला दबाकर) से हुई अथवा किसी अन्य कारण से?

34. पोस्टमार्टम रिपोर्ट डाक्टर द्वारा विशेषज्ञ के रूप में राय दी जाती है जो कि धारा **39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023** के अन्तर्गत सुसंगत साक्ष्य है, परन्तु न्यायालय को यह भी देखना है कि डाक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी राय की पुष्टि तथ्य के साक्षियों तथा अन्य परिस्थितियों से होती है अथवा नहीं?

35. प्रस्तुत प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह अंकित है कि Ligature mark 32.0 X 1.5 cm arroud the neck transversely placed, situated over the thyroid 4.5 cm below ear, echymosis present, Petechial hamerhagen and haematoma present over soft tissue of neck. मृत्यु का कारण Antimortem Strangulation अंकित है। न्यायालय के समक्ष पी०डब्लू० 5 डाक्टर मोहम्मद रिजवान खान द्वारा बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि मृतका के शरीर पर कोई चोट आदि का निशान नहीं था। निशान गले पर एक लिगेचर बन्धन चिन्ह का था। मृतका के गर्दन के चारों ओर एक लिगेचर बाँधकर स्वंय लटकता है तब शारीरिक भार के कारण बन्धन का फन्दा कस जाता है। फलस्वरूप वायु मार्ग अवरोध हो जाता है जिससे श्वसन का अवरोध हो जाता है जिसके कारण वायुकोष्ठों में वायु नहीं पहुँच पाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। साक्षी ने मृतका सुशीला के शरीर का परीक्षण करते समय संघर्ष के चिन्ह जैसे नाखून मारना आदि या धूल मिट्टी लगा होना आदि मृतका के शरीर पर नहीं पाया था।

36. प्रस्तुत प्रकरण में पंचायतनामा की कार्यवाही को पी०डब्लू० 8 मो० जसीम

द्वारा साबित किया गया है। पंचायतनामा के परिशीलन से यह विदित होता है कि पंचायतनामा में चोटों के सन्दर्भ में यह अंकित है कि मृतका के गले गले में अर्द्धचन्द्राकार लिगेचर मार्क बना है, जिससे स्पष्ट होता है कि पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान मृतका के गले पर फन्दे का निशान था।

37. उल्लेखनीय है कि Modi's Medical Jurisprudence and Toxicology में यह अंकित किया गया है कि Hanging के मामले में Ligature Marok– Oblique, non–continuous placed high up in the neck between the chin and larynx, the base of the groove or furrow being hard, yellow and parchment like आयेगा जबकि Strangulaion के मामले में Ligature Mark– Horizontal or transverse continuous, round the neck, low down in the neck below the thyroid, the base of the groove or furrow being soft and reddish आयेगा।

38. न्यायालय के विचार में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के गले पर आया लिगेचर मार्क थायराइड के ऊपर स्थित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एण्टीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन (गला दबाकर) होना जो बताया गया है, उसकी पुष्टि Modi's Medical Jurisprudence and Toxicology में एण्टीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन के लिए जो लिगेचर मार्क तथा अन्य परिस्थितियाँ होनी चाहिये, उससे नहीं होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सक साक्षी द्वारा जिरह में यह कथन किया गया है कि मृतका सुशीला के शरीर का परीक्षण करते समय संघर्ष के चिन्ह जैसे नाखून मारना आदि या धूल मिट्टी लगा होना आदि नहीं पाया गया था। फिर भी न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मृतका की मृत्यु एण्टीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन की वजह से नहीं बल्कि एण्टीमार्टम हैगिंग की वजह से हुई है अथवा नहीं?

39. पी०डब्लू० 2 वादी मुकदमा जो कि मृतका का पिता है, द्वारा जिरह मे कथन किया गया है कि वादी की लड़की सुशीला ने जिस दिन फाँसी लगायी थी उसी दिन लाल जी के मौसा के लड़के का तिलक था। उनका नाम नीबर था। वादी नीबर के लड़के के लड़के के तिलक में घटना वाले दिन गया था। जब वादी वहाँ पहुँचा था तो उस समय नीबर के लड़के के तिलक में लाल जी, सुमनलता, कुंवारे व किरन पहले से मौजूद थे। इन लोगों से वहाँ पर वादी की मुलाकात लड़की के ससुराल वालों से हुई थी। ससुराल वालों ने वादी से कोई दहेज की माँग नहीं किया था। लाल जी, कुंवारे, सुमनलता व किरन लता ने वादी से किसी प्रकार की दहेज की माँग नहीं किया था। सुशीला ने कभी उसको ससुराल वालों द्वारा मारने–पीटने व प्रताड़ित करने की बात वादी से नहीं बताई थी। सुशीला बचपन से ही कभी–कभी कुछ क्षण के लिए बेहोश हो जाती थी तथा होश आने के बाद तेज सिर दर्द होने के कारण काफी परेशान हो जाती थी। डाक्टरों ने बताया था कि शादी होने के बाद जब सुशीला के बच्चे होगें तभी उसकी यह बीमारी स्वतः ठीक हो जायेगी। इसी बीमारी से परेशान होकर उसने शादी से पहले भी फांसी लगाने की कोशिश की थी लेकिन समय से जानकारी हो जाने के बाद उन लोगों ने उसको बचा लिया था। सुशीला की शादी के बाद सुशीला की यह बीमारी सही नहीं हुई थी और कुछ अंतराल के बाद उसको झटके एवं बेहोशी की बीमारी स्वतः हो जाती थी तथा वह काफी तेज सिर दर्द के कारण काफी परेशान हो जाती थी। ससुराल वालों ने भी उसका काफी दवा इलाज कराया था। सुशीला की लाश को वादी ने भी देखा था लेकिन उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई चोट का निशान नहीं था। सुशीला ने बचपन से ही दोनों जांघों का जन्म चिन्ह जन्म से ही मौजूद था। लाश का पोस्टमार्टम पुलिस वालों ने कराया था। सुशीला से दहेज में

उसके ससुराल वालों द्वारा भैंस व मोटर साइकिल माँगने के सम्बन्ध में वादी से नहीं बताया था। सुशीला जब भी मायके आती थी तब भी दहेज माँगने की बात नहीं बतायी थी। राजी–खुशी से रहने की बात बतायी थी।

40. पी०डब्लू० 3 छविरानी जो कि मृतका की माँ है द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि साक्षी की लड़की सुशीला शादी के पहले से मानसिक रूप से बीमार रहती थी जिसके कारण उसको बेहोशी के दौरे पड़ते थे। बेहोशी के बाद उसको तेज सिर दर्द होता था लेकिन कुछ समय के बाद वह ठीक हो जाती थी। सुशीला का इलाज साक्षी ने तथा उसके ससुराल वालों ने भी कराया था। डाक्टर ने बताया था कि उसकी यह मर्ज शादी के बाद ही ठीक होगी। इस बीमारी के कारण सुशीला शादी के पहले मायके में भी आत्महत्या करने का प्रयास कर चुकी थी लेकिन उन लोगों को समय से जानकारी हो जाने के कारण उसको बचा लिया गया था। सुशीला के ससुराल वालों ने कभी दहेज की माँग नहीं की थी।

41. पी०डब्लू० 4 अजय उर्फ विजय जो कि पीड़िता का भाई है द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि सुशीला का विवाह लाल जी के साथ हुआ था। सुशीला विदा होकर लाल जी के साथ गयी थी। साक्षी सुशीला से मिलने लाल जी के घर जाता रहता था। सुशीला ससुराल में राजी–खुशी के साथ रहती थी और सुशीला जब भी मायके आती थी राजी खुशी रहने की बात बताती थी। सुशीला के ससुराल वालों ने दान–दहेज की माँग नहीं की थी। दहेज की माँग न तो साक्षी के सामने हुई थी और न ही साक्षी की बहन ने उससे बताया था।उसकी बहन जिस दिन फाँसी लगाकर लाल जी के घर मिली थी उस दिन लाल जी, कुंवारे, सुमनलता व किरनबाला मैनेहिया निवासी नीबर के घर लड़के के तिलक में गये थे। वहाँ पर साक्षी के घर परिवार का न्यौता था, न्यौता में उसके पिता जी गये थे। साक्षी की बहन सुशीला बचपन से मानसिक रोगी थी। अपने रोग से साक्षी की बहन परेशान रहती थी। साक्षी के माता–पिता ने उसका काफी इलाज कराया था लेकिन इस रोग से वह ठीक नहीं हुई थी। इसी बीमारी को लेकर साक्षी की बहन सुशीला ने उसके घर पर एक बार फाँसी लगाने का प्रयास किया था लेकिन समय से जानकारी हो जाने के कारण उन लोगों ने उसको बचा लिया था।शादी के बाद भी साक्षी की बहन ससुराल में इस मानसिक रोग से परेशान रहती थी। साक्षी के जीजा अपने माता–पिता व भाई से बंटवारा करके उसकी बहन सुशीला के साथ अलग रहते थे।

42. अतः अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पी०डब्लू० 2 वादी मुकदमा, पी०डब्लू० 3 छविरानी व पी०डब्लू० 4 अजय उर्फ विजय द्वारा अपने साक्ष्य में इस बात की पुष्टि की गयी है कि घटना के समय अभियुक्तगण घटनास्थल पर उपस्थित नहीं है बल्कि वह वादी मुकदमा के साथ नीबर के लड़के के तिलकोत्सव में उपस्थित थे। साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में इस बात की स्वीकारोक्ति की गयी है कि मृतका सुशीला बचपन से मानसिक रोगी थी। अपने रोग से मृतका परेशान रहती थी। इसी बीमारी को लेकर उसने अपने घर पर एक बार फाँसी लगाने का प्रयास किया था लेकिन समय से जानकारी हो जाने के कारण उन लोगों ने उसको बचा लिया था। शादी के बाद भी मृतका ससुराल में इस मानसिक रोग से परेशान रहती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में इस तथ्य को प्रकट किया गया है कि मृतका अपनी बीमारी की वजह से परेशान रहती थी। मृतका द्वारा पूर्व में भी आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था। घटना की तिथि पर अभियुक्तगण घर पर नहीं थे तथा अकेले में मृतका द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रस्तुत प्रकरण में यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एण्टीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन बताया गया है,

परन्तु अभियोजन के साक्षीगण के साक्ष्य तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अन्य तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि मृतका की मृत्यु का कारण एण्टीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन नहीं बल्कि एण्टीमार्टम हैगिंग है। मृतका की मृत्यु दिनांक 21.04.2014 को हुई है। मृतका की शादी घटना से लगभग 02 वर्ष पूर्व मई 2012 में हुई थी, इससे स्पष्ट होता है कि मृतका सुशीला की मृत्यु अभियुक्त लाल जी के साथ शादी के सात वर्ष के अन्दर किसी दाह अथवा शारीरिक क्षति के द्वारा कारित की गयी, जो कि सामान्य परिस्थितयों से अन्यथा है।

43. न्यायालय को अब यह निर्धारित करना है कि पीड़िता की मृत्यु उसके पति अथवा पति के किसी संबन्धी द्वारा मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग अथवा दहेज के लिए क्रूरता किये जाने की वजह से हुई है अथवा नहीं।

44. वादी मुकदमा राधे द्वारा अपने तहरीर प्रदर्श क–1 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वादी ने अपनी लड़की (सुशीला) की शादी वर्ष 2012 में लाल जी पुत्र कुंवारे के साथ किया था परन्तु विदाई से लेकर मार डालने तक सुमनलता (सास), कुंवारे (ससुर), लाल जी (पति) ये लोग शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दहेज के कारण देते रहे। दिनाँक 21.04.2014 को समय अपारन्ह 11.00 बजे दिन वादी की लड़की सुशीला को सुमनलता, कुंवारे और लाल जी ने मिलकर लात, मुक्का, घूसों से मारकर जान से मार डाला है। विपक्षीगण हमेशा भैंस व मोटर साइकिल दहेज में माँग करते रहे। वादी के न देने पर घटना को अंजाम दिया गया है।

45. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कभी भी पीड़िता से दहेज की मांग नहीं की गयी है, न ही दहेज के लिये प्रताड़ित किया गया है और न ही पीड़िता की हत्या की गयी है। अभियुक्तगण घटना की तिथि पर घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। मृतका द्वारा अपनी बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली गयी है।

46. वादी मुकदमा पी०डब्लू० 2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है परन्तु जिरह में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि वादी की लड़की सुशीला ने जिस दिन फाँसी लगायी थी उसी दिन लाल जी के मौसा के लड़के का तिलक था। उनका नाम नीबर था। वादी नीबर के लड़के के लड़के के तिलक में घटना वाले दिन गया था। जब वादी वहाँ पहुँचा था तो उस समय नीबर के लड़के के तिलक में लाल जी, सुमनलता, कुंवारे व किरन पहले से मौजूद थे। इन लोगों से वहाँ पर वादी की मुलाकात लड़की के ससुराल वालों से हुई थी। उनसे वादी ने लड़की का हालचाल पूँछा था उन लोगों ने बताया था कि आज सुबह लगभग पाँच बजे सुशीला बेहोश हो गयी थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया था लेकिन सिर में दर्द होने के कारण वह साथ में नहीं आयी है। सुशीला बचपन से ही कभी–कभी कुछ छण के लिए बेहोश हो जाती थी तथा होश आने के बाद तेज सिर दर्द होने के कारण काफी परेशान हो जाती थी। डाक्टरों ने बताया था कि शादी होने के बाद जब सुशीला के बच्चे होगें तभी उसकी यह बीमारी स्वतः ठीक हो जायेगी। इसी बीमारी से परेशान होकर उसने शादी से पहले भी फांसी लगाने की कोशिश की थी लेकिन समय से जानकारी हो जाने के बाद उन लोगों ने उसको बचा लिया था। शादी के बाद शादी में ही उसकी विदाई हो गयी थी। सुशीला का हाल–चाल लेने वादी उसके ससुराल जाता रहता था। ससुराल वालों ने वादी से कोई दहेज की माँग नहीं किया था। लाल जी, कुंवारे, सुमनलता व किरन लता ने वादी से किसी प्रकार की दहेज की माँग नहीं किया था। सुशीला ने कभी उसको ससुराल वालों द्वारा मारने–पीटने व प्रताड़ित करने की बात वादी से नहीं बताई थी। सुशीला से दहेज में उसके

ससुराल वालों द्वारा भैंस व मोटर साइकिल माँगने के सम्बन्ध में वादी से नहीं बताया था। सुशीला जब भी मायके आती थी तब भी दहेज माँगने की बात नहीं बतायी थी। राजी–खुशी से रहने की बात बतायी थी। सुशीला के मरने की सूचना लगभग 03.00 बजे वादी को फोन से मैनेहिया गाँव में नीबर के लड़के के तिलक समारोह में मिली थी। उस समय लाल जी व उनके पिता वादी के साथ में ही थे, उनको भी सूचना वहीं मिली थी। वादी के सामने सुशीला का शव छत के कुन्ड़े से पुलिस वालों एवं गाँव वालों की मदद से नीचे उतारा गया था। पुलिस को घटना की सूचना देने के लिए गाँव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम वादी को नहीं मालूम है, एक तहरीर लिखवा कर पुलिस को दिया था। उसने क्या लिखा था यह वादी को नहीं मालूम है क्योंकि लिखने वाले ने वादी को पढ़कर सुनाया नहीं था। वादी से केवल हस्ताक्षर बनवा लिया था। वादी लिखना पढ़ना नहीं जानता है, केवल हस्ताक्षर बना सकता है। तहरीर लिखने वाले से वादी ने लाल जी, कुंवारे, सुमनलता व किरन लता के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी उसने इन लोगों का नाम कैसे लिख दिया वादी को नहीं मालूम है।

47. पी०डब्लू० 3 छविरानी जो कि मृतका की माँ हैं द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा तथा जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और जिरह में यह कथन किया गया है कि सुशीला और उसके पति लाल जी अपने माता–पिता व भाई से बंटवारा करके अलग रहते थे। साक्षी की लड़की सुशीला शादी के पहले से मानसिक रूप से बीमार रहती थी जिसके कारण उसको बेहोशी के दौरे पड़ते थे। बेहोशी के बाद उसको तेज सिर दर्द होता था लेकिन कुछ समय के बाद वह ठीक हो जाती थी। सुशीला का इलाज साक्षी ने तथा उसके ससुराल वालों ने भी कराया था। डाक्टर ने बताया था कि उसकी यह मर्ज शादी के बाद ही ठीक होगी। इस बीमारी के कारण सुशीला शादी के पहले मायके में भी आत्महत्या करने का प्रयास कर चुकी थी लेकिन उन लोगों को समय से जानकारी हो जाने के कारण उसको बचा लिया गया था। सुशीला के ससुराल वालों ने कभी दहेज की माँग नहीं की थी। यह कहना गलत है कि अतिरिक्त दहेज की माँग पूरी न करने के कारण सुशीला को उसके ससुराल वालों ने मार डाला था। यह कहना सही है कि सुशीला ससुराल में राजी–खुशी से रहती थी। यह कहना सही है कि सुशीला की मृत्यु के दिन उसके ससुराल वाले ग्राम मैनिहया में एक तिलक समारोह में शामिल होने गये थे वहाँ पर साक्षी के पति भी गये थे।

48. पी०डब्लू० 4 अजय उर्फ विजय जो कि मृतका का भाई है द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है परन्तु जिरह में यह कथन किया गया है कि सुशीला साक्षी की बड़ी बहन है। सुशीला का विवाह लाल जी के साथ हुआ था। सुशीला विदा होकर लाल जी के साथ गयी थी। साक्षी सुशीला से मिलने लाल जी के घर जाता रहता था। सुशीला ससुराल में राजी–खुशी के साथ रहती थी और सुशीला जब भी मायके आती थी राजी खुशी रहने की बात बताती थी। सुशीला के ससुराल वालों ने दान–दहेज की माँग नहीं की थी। दहेज की माँग न तो साक्षी के सामने हुई थी और न ही साक्षी की बहन ने उससे बताया था। तहरीर में भैंस व मोटर साइकिल की माँग को लेकर साक्षी की बहन सुशीला को मारने–पीटने व मारकर लटकाने वाली बात साक्षी की जानकारी में नहीं है। उसकी बहन जिस दिन फाँसी लगाकर लाल जी के घर मिली थी उस दिन लाल जी, कुंवारे, सुमनलता व किरनबाला मैनेहिया निवासी नीबर के घर लड़के के तिलक में गये थे। वहाँ पर साक्षी के घर परिवार का न्यौता था, न्यौता में उसके पिता जी गये थे। साक्षी की बहन सुशीला बचपन से मानसिक रोगी थी। अपने रोग से साक्षी की बहन परेशान रहती थी। साक्षी के माता–पिता ने उसका काफी इलाज कराया था लेकिन इस रोग से वह ठीक नहीं हुई थी। इसी बीमारी को लेकर साक्षी की बहन सुशीला ने उसके घर पर एक बार फाँसी लगाने का प्रयास किया था लेकिन समय से

जानकारी हो जाने के कारण उन लोगों ने उसको बचा लिया था। शादी के बाद भी साक्षी की बहन ससुराल में इस मानसिक रोग से परेशान रहती थी।यह कहना सही है कि उसकी बहन बचपन से मानसिक रूप से बीमार रहती थी और उसी कारण से कभी–कभी बेहोश हो गयी थी। यह कहना गलत है कि सुशीला के ससुराल वालों ने भैंस व मोटर साइकिल की माँग किया था। यह कहना सही है कि बहन मानसिक रूप से बीमार होने के कारण उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

49. बचाव पक्ष द्वारा अपना बचाव में डी०डब्लू० 1 नीबर उर्फ विश्राम, डी०डब्लू० 2 मो० नसीम व डी०डब्लू० 3 के रूप में गिरिजेश सिंह एड्वोकेट को परीक्षित कराया गया है। डी०डब्लू० 1 नीबर उर्फ विश्राम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि राम कुंवारे साक्षी के साढ़ू हैं। सुमन लता साक्षी की पत्नी की बहन है। लाल जी और किरन बाला रामकुंवारे के लड़के व पतोहू हैं जो घटना वाले दिन आज से लगभग ग्यारह साल हुए अप्रैल के महीना में साक्षी के लड़के संजय की तिलक थी। तिलक वाले दिन लाल जी, सुमन लता, किरन बाला, राम कुंवारे शाम को ही आ गये थे और रातभर साक्षी के यहाँ रहे। मृतका सुशीला के पिता राधेश्याम भी तिलक में आये थे। वह भी रात में हमारे यहाँ ही रुके थे तथा राम कुंवारे व लाल जी के साथ एक ही जगह पर अगल–बगल चारपाई पर लेटे थे। सब लोग दूसरे दिन दस–ग्यारह बचे के समय खाना खा रहे थे तो भवनिया पुर से खबर आयी कि सुशीला की हालत खराब है, तुरन्त चले आओ। तब लाल जी, सुमन लता, राम कुंवारे, किरनबाला हमारे यहाँ से अपने घर भवनियापुर चले गये। महमान ज्यादा होने की वजह से वह मौके पर नहीं गया था। सुशीला की मृत्यु से इन लोगों का कोई सम्बन्ध नहीं था। सुशीला की मृत्यु के समय वह लोग तथा सुशीला के पिता राधेश्याम भी साक्षी के यहाँ थे। अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि मृतका सुशीला के पिता राधेश्याम साक्षी के रिश्तेदार हैं। शादी विवाह में व अन्य कार्यक्रमों में साक्षी का राधेश्याम के यहाँ आना–जाना रहता है। मुल्जिम कुंवारे साक्षी के साढ़ू हैं और मुल्जिम सुमन लता साक्षी की पत्नी की बहन हैं। साक्षी पढ़ा–लिखा नहीं है। आज से (बयान की तिथि से) करीब ग्यारह साल पहले राधेश्याम की पुत्री सुशीला जो साक्षी के साढ़ू के लड़के लाल जी को ब्याही थी ने फाँसी लगा लिया था जिस रात में फाँसी लगाया था उस दिन साक्षी के लड़के के तिलक था और तिलक के कार्यक्रम में साक्षी के यहाँ कुंवारे, लाल जी, सुमनलता व किरन बाला शामिल हुए थे और उसके यहाँ रात में रुके थे। अगले दिन लाल जी की पत्नी की सूचना पाकर चले गये थे।

50. डी०डब्लू० 2 मो० नसीम द्वारा अपनी मुख्या परीक्षा में यह कथन किया गया है कि साक्षी इस समय भवनिया पुर टिकुरी का प्रधान है। घटना के समय भी वह भवनियापुर टिकुरी का प्रधान था। सुमन लता व लाल जी के यहाँ साक्षी का आना–जाना रहता था। हर सुख–दुख में साक्षी का आना–जाना रहता था। घटना वाले दिन लाल जी, सुमन लता, किरन बाला व राम कुंवारे भवनिया में नहीं थे। वह मैनेहिया रिश्तेदारी में चले गये थे। यह घटना हो जाने के बाद जब उन लोगों ने फोन से सूचना दिया तब लाल जी वगैरह भवनियापुर आये थे। पीड़िता सुशीला जो सुमन लता की बहू थी। वह दिमाग की रोगी थी। उसके पहले भी कई बार बेहोश होकर गिर गयी थी और फाँसी लगाने का प्रयास किया था। उन लोगों ने कई बार उसको ले जाकर दवा इलाज करवाया था। वह मानसिक रोगी थी और वह कहा करती थी कि वह जीना नहीं चाहती है। तेज सिर मे दर्द होने की शिकायत अक्सर किया करती थी। प्रधान होने के कारण व सुमन लता के घर से अच्छे सम्बन्ध होने के कारण साक्षी हर मामले में सुमन लता के घर में आया–जाया करता था और साक्षी की जानकारी में मृतका सुशीला के मरने में इन लोगों का (मुल्जिमानों का) कोई दोष नहीं है। मृतका के बीमारी की चर्चा सारे गाँव में है।

अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि मृतका का नाम सुशीला था यह वर्ष 2014 में मरी थी, महीना याद नहीं है। साक्षी का गाँव मुल्जिम सुमन लता के गाँव से करीब एक किमी० की दूरी पर है। मौजा एक ही है। उस समय भी साक्षी भवनियापुर टिकरी का प्रधान था। मृतका की शादी उसकी मृत्यु के आठ–नौ वर्ष पूर्व हुई थी। मृतका के कोई संतान नहीं थी। मृतका के मरने की सूचना साक्षी को उसके मरने के आधा–घण्टा बाद मिली थी। मरने की सूचना गाँव वालों ने दिया था। जब साक्षी पहुँचा तो उस समय लाश कमरे में चारपाई पर नहीं थी, परन्तु घर के आँगन में थी। मृतका से साक्षी की दो–चार बार बात हुई थी किन्तु उसने कभी मुल्जिमान द्वारा दहेज माँगने व उनके प्रताड़ित करने की बात नहीं बतायी थी। जब साक्षी पहुँचा तो उस समय मुल्जिम सुमन लता, लाल जी, कुंवारे व किरन बाला घर पर नहीं थे। वह सभी लोग एक दिन पहले से घर पर नहीं थे। यह सभी लोग मैनेहिया अपनी रिश्तेदारी में गये थे। साक्षी की सूचना पर ही वह लोग वापस घर आये थे।

51. डी०डब्लू० 3 गिरिजेश सिंह एड़वोकेट द्वारा अपनी मुख्या परीक्षा में यह कथन किया गया है कि साक्षी भवनियापुर का पूर्व प्रधान है। इस बार साक्षी चुनाव नहीं लड़ा था। सुमन लता और अन्य अभियुक्तगण के यहाँ से साक्षी का आना–जाना रहता था। हर दुख–सुख में साक्षी उनके यहाँ जाया करता है। घटना दिनाँक 21.04.2014 की है। साक्षी सुनकर कई लोगों के साथ जब सुमनलता के यहाँ पहुँचा तो देखा कि सुमन लता की बहू सुशीला की लाश आंगने में पड़ी थी। सुशीला के सास–ससुर सुमन लता, कुंवारे, लाल जी, किरन बाला घर पर नहीं थे। वह लोग एक दिन पहले नानपारा के पास मैनेहिया गाँव अपने साढ़ू के यहाँ चले गये थे। वहाँ पर तिलक का कार्यक्रम था। तब साक्षी ने भी फोन से उन लोगों को सूचना दिया। उसके बाद वह लोग मौके पर आये। सुमन लता की बहू सुशीला की तबीयत पहले से खराब रहती थी। सिर में दर्द होता रहता था और वह इतना व्याकुल हो जाती थी कि कई बार इसके पहले भी फाँसी लगाने का प्रयास कर चुकी थी लेकिन उन लोगों द्वारा मौके पर जाकर समझा दिया जाता था कि दवा हो रही है ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो। उसका काफी दवा इलाज सुमन लता के घर वालों ने भी करवाया था। सुशीला के मरने में इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। यह लोग उस दिन गाँव पर नहीं थे। इसकी जानकारी साक्षी है। अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय साक्षी भवनियापुर टिपरी का प्रधान नहीं था। घटना के दिन साक्षी घर पर था। साक्षी सुशीला के मरने की सूचना पर मौके पर गया था। मौके पर पुलिस कुछ देर बाद आ गयी थी। साक्षी ने उसकी लाश को मौके पर देखा था। पुलिस ने पंचायतनामा की लिखा–पढ़ी किया था। मृतका के पति व सास–ससुर घर पर नहीं थे। सुशीला घर पर अकेली थी। मृतका सुशीला की तबियत पहले से खराब रहती थी। साक्षी का उसके यहाँ आना–जाना रहता था। सुशीला के मरने की सूचना पाकर वह लोग बाद में आये थे।

52. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित किसी भी तथ्य के साक्षी द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका सुशीला को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तथा दहेज की माँग पूरी न होने पर मृतका को जान से मार डाला गया अपितु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के सभी साक्षीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि मृतका सुशीला अपनी ससुराल में राजी–खुशी से रहती थी उसके ससुरालीजन द्वारा उसे किसी प्रकार की दहेज की माँग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाता था। अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में इस बात पर जोर दिया गया है कि मृतका मानसिक रूप से बीमार थी जिस कारण वह परेशान रहती थी। उसके द्वारा शादी के पहले भी आत्महत्या

करने का प्रयास किया गया था परन्तु जानकारी होने के कारण उसे बचा लिया गया था। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा भी अपने साक्ष्य में इस बात को प्रकट किया गया है कि मृतका मानसिक रूप से बीमार थी तथा वह अपनी बीमारी से काफी परेशान रहती थी। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में प्रकट किया गया है कि घटना की तिथि पर अभियुक्तगण अपने रिश्तेदार नीबर के लड़के के तिलक समारोह में गये हुये थे। घटना वाली रात अभियुक्तगण घर पर नहीं थे तथा मृतका की मृत्यु सूचना प्राप्त होने पर वह लोग अपने गाँव वापस आये थे। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण द्वारा भी अपने साक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि घटना वाली रात अभियुक्तगण वादी मुकदमा के साथ रिश्तेदार नीबर के लड़के के तिलक में उपस्थित थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु उसके पति अथवा पति के किसी संबन्धी द्वारा मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग अथवा दहेज के लिए क्रूरता किये जाने की वजह से हुई है।

53. उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण सुमनलता, कुंवारे, किरनबाला उर्फ किरनलता उर्फ फुलवा उर्फ फूलमता व लाल जी के विरुद्ध धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

54. **निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या–2** अवधार्य बिन्दु संख्या 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दिनाँक 21.04.2014, समय लगभग 11.00 बजे दिन में, बहद ग्राम भवनियापुर टिकरी, थाना रुपईडीहा, जनपद बहराइच में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा की पुत्री सुशीला की हत्या कर दी?

55. जहाँ तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 भा०दं०सं० के आरोप का प्रश्न है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को साबित कर सके कि अभियुक्तगण द्वारा ही मृतका सुशीला की हत्या की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू० 2 वादी मुकदमा राधे, पी०डब्लू० 3 छविरानी, पी०डब्लू० 4 अजय उर्फ विजय द्वारा स्वंय अपने साक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया गया है कि मृतका अपनी मानसिक बीमारी की वजह से परेशान रहती थी उसी वजह से उसने आत्महत्या कर लिया है। अभियुक्तगण द्वारा मृतका की हत्या नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध हत्या के आरोप को साबित करने के लिए ऐसा कोई अकाट्य, संदेह रहित व सुस्थापित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे की न्यायालय इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके कि अभियुक्तगण द्वारा ही मृतका सुशीला की हत्या की गयी है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302/34 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अवधार्य बिन्दु के विश्लेषण का सार।

56. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के सम्यक विश्लेषण तथा पत्रावली के परिशीलन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन अभियुक्तगण सुमनलता, कुंवारे, किरनबाला उर्फ किरनलता उर्फ फुलवा उर्फ फूलमता व लाल जी के विरुद्ध धारा 498 ए, 304 बी व 302 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायालय के मत में

सत्र परीक्षण संख्या– 185/2014, सरकार प्रति सुमनलता आदि।

अभियुक्तगण सुमनलता, कुंवारे, किरनबाला उर्फ किरनलता उर्फ फुलवा उर्फ फूलमता व लाल जी को सन्देह का लाभ देते हुए धारा 498 ए, 304 बी व 302/34 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

(i)– सत्र परीक्षण संख्या 185/2014, सरकार बनाम सुमनलता आदि, मुकदमा अपराध संख्या– 382/2014, थाना रुपईडीहा, जनपद बहराइच के मामले में अभियुक्तगण सुमनलता, कुंवारे, किरनबाला उर्फ किरनलता उर्फ फुलवा उर्फ फूलमता व लाल जी को धारा 498 ए, 304 बी, 302/34 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(ii)– अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामे एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(iii)– अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 ए दं०प्र०सं० में विहित उपबन्धों के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो–दो प्रतिभू पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील योजित होने की दशा में, वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विहित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होगें। अपील न होने की दशा में छः माह की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उक्त बन्धपत्र एवं जमानतमाने स्वतः निरस्त हो जायेंगे एवं तद्नुसार प्रतिभूगण उत्तरदायित्व से उन्मोचित हो जायेंगे।

(बृजेश कुमार यादव)

दिनांकः 20.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से सम्बन्धित), बहराइच।
JO Code No. UP 1605

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(बृजेश कुमार यादव)

दिनांकः 20.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से सम्बन्धित), बहराइच।
JO Code No. UP 1605